SBCivil Writ Petition No.548/1995
(Sardar Singh v. State of Rajasthan & Ors.)

DATE OF ORDER :: 19th January, 2007

HON'BLE MR.JUSTICE GOVIND MATHUR

None present, for the petitioner.
Mr. B.L.Tiwari, Dy.G.A..

....

By this petition for writ a challenge is given to the order dated 30.4.1991 passed by Deputy Inspector General of Police, Jodhpur Range, Jodhpur rejecting the appeal preferred by the petitioner against the order dated 21.12.1990 passed by the Disciplinary Authority i.e. the Superintendent of Police, Jodhpur imposing penalty of removal from service upon the petitioner.

In brief, the facts of the case are that the petitioner while holding the post of Constable at Police Station Sardarpura, Jodhpur was served with a memorandum under Rule 16 of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958 (hereinafter referred to as “the Rules of 1958”) to explain his conduct with regard to the charge that in the month of August, 1989 while working as Constable at Police Station Sardarpura, Jodhpur in the intervening night of 25th and 26th August, 1989 he created nuisance at police station under intoxication. On denial of the allegation of misconduct a regular inquiry was conducted against the petitioner and the inquiry officer on basis of the statements of Sanwat

Singh, Ashok Kumar, Khinv Singh, Ramuram and Jethu Singh, held the petitioner guilty for the misconduct alleged. The disciplinary authority by accepting the findings given by the inquiry report vide the order dated 21.12.1990 imposed a penalty of removal from service upon the petitioner. The disciplinary authority while considering the report of the inquiry officer examined the evidence available on record and gave his own finding with regard to the charge of misconduct, that reads as under:-

> "मैंने जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का पूर्ण मान्यता से अध्ययन एवं विवेचन किया हैं। इस विभागीय जांच में श्री सरदारसिंह मा. नं. 1516 के उप दिनांक 25, 26.8.89 की रात्रि में शराब पीकर थाने में आने तथा उत्पात मचाने का आरोप हैं। इस आरोप के सम्बंध में गवाहान के बयानों से जिसमें श्री सावंतसिंह, श्री अशोक कुमार ने इस बात की हो स्वीकार किया हैं कि श्री सरदारसिंह ने मटकियां फोड़ी थी। इसके अतिरिकत गवाह खीमसिंह, रामूराम व जेठू सिंह ने सरदारसिंह का दारू पीये होना व दारू पीकर उत्पात मचाना स्वीकार नहीं किया हैं। श्री भंवरसिंह एस.आई. ने इतला को स्वीकार किया हैं कि उसे यह बताया गया था कि सरदारसिंह ने रात को शराब पीकर मटकियां फोड़ी थी। उसने यह भी माना हैं कि निरोधक पुलिस ने जो कार्यवाही की हैं वह सरदारसिंह के विरूद्ध सही हैं कि होनी व झूठी कार्यवाही नहीं करते गवाह मलूकाराम एस आई व सुमेरसिंह ने भी घटना की ताईद नहीं की हैं। श्री रामलाल सी आई ने घटना की ताईद की हैं, तथा यह बताया हैं कि उनको सरदारसिंह के द्वारा शराब पीये होने की बात व उत्पात मचाने की बात मलूकाराम एस आई व सावंतसिंह ने बताई थी तथा जिन गवाहान के बयान लिये थे उन सब की इतने तस्दीक

की थी ने श्री रामनाथ सी आई ने यह माना हैं कि सरदारसिंह कानिस्टेबल दिन भर शराब के नशे में थाने में घूमता रहा सेना पुलिस लाईन में आमद नहीं करा तथा सरदारसिंह को पूछने पर आमद क्यों नहीं कराई तथा सरदारसिंह ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया। श्री अशोक त्रिवेदी सी.आई. ने भी प्राथमिक जांच अधिकारी होने के नाते घटना की पुष्टि की हैं। गवाह सावंतसिंह 922 ने भी यह बताया हैं कि सरदारसिंह के शराब पीने मटकी फोड़ने उत्पात मचाने की बात झूठी नहीं हो सकती श्री अशोक कुमार ने भी यह माना हैं कि श्री रामनाथ सी.आई. को सरदारसिंह से कोई रंजिश नहीं थी। श्री सरदारसिंह के कृत्य की पुष्टि तत्कालीन निरोधक पुलिस ने रोजनाचमे में डाली थी। श्री भंवरसिंह एस.आई. ने भी यह माना हैं कि सरदारसिंह के बारे में कार्यवाही झूठी नहीं की गई हैं। रोजनामचे में रपट जो छापी गई यह घटना के सम्बंध में उसी समय डाली गई थी। अत: गवाह के माफिक बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्री सरदारसिंह कानिस्टेबल को बचाने के लिये रामनाथ सी.आई. के प्रभाव में गवाह व द्रोही हो गये हैं, उन्होंने अपनी बात पलटी हैं। श्री रामनाथ सी.आई. तथा गवाह के बयानों में जो बात आई हैं एवं दस्तावेज के आधार में इस निर्णय पर पहुंचा हैं कि श्री सरदारसिंह कांस्टेबल नं. 1516 दिनांक 25, 26.8.89 को मध्य रात्री शराब पीकर थाना सरदारपुरा में गया पानी की मटकियां फोड़ी तथा उत्पात मचाया यह आरोप प्रमाणित मानते हुये उसे प्रभाव से राज्य सेवा से मुक्त किया जाता हैं।"

Being aggrieved by the order of disciplinary authority the delinquent employee preferred an appeal under Rule 3 of the Rules of 1958 before the Deputy Inspector General of Police, Jodhpur Range, Jodhpur that also came to be rejected by order dated 30.4.1991, hence this petition for writ.

It is relevant to note that during pendency of the petition the petitioner died, therefore, his legal representatives were taken on record in pursuant to an order passed by this Court on 22.4.1996.

From the averments contained in the petition for writ it appears that the main contention of the petitioner is that present one is a case of no evidence. From perusal of the order passed by the disciplinary authority, relevant portion of that has already been quoted above, it is apparent that sufficient evidence was there to substantiate the charge of misconduct against the petitioner. The disciplinary authority while considering report of the inquiry officer also examined the evidence and gave a specific finding with regard to the charge that the petitioner on the intervening night of 25th and 26th August, 1989 created nuisance at Police Station Sardarpura, Jodhpur under intoxication. On basis of it, it cannot be said that there was no evidence against the petitioner.

In view of it, I do not find any merit in this petition for writ. The same, therefore, is dismissed.

(GOVIND MATHUR),J.

kkm/ps.